न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 08 / 2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021 / 25

प्रार्थी बनाम **अप्रार्थीगण**

1. रमेशचन्द्र ओझा पुत्र स्व. हरिकृष्ण ओझा
2. प्रकाशचंद पुत्र स्व. हरिकृष्ण ओझा जातियान ब्राह्मण निवासीगण रानी बाजार, बीकानेर–334001

1. प्रथम अपील अधिकारी (एसडीओ), राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2011 तहसील लाडनूं जिला नागौर।
2. तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री मधुर सिखवाल।
2. अप्रार्थीगण की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

आदेश **दिनांक–** 04/10/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के न्यायालय में विचाराधीन द्वितीय अपील संख्या 79 / 2019 बअनवान रेमशचंद्र ओझा व अन्य बनाम प्रथम अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) लाडनूं व अन्य अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने आदि की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थी द्वारा मुन्तकि आवेदन पत्र के संलग्न अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना की प्रस्तुत आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति में प्रकरण उनवान रमेश चन्द्र ओझा बनाम प्रथम अपील अधिकारी (SDO) तथा किस्म मुकदमा–अपील संख्या 79 / 2018 अंकित है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल आवेदन पत्र में अपील संख्या–78 / 2018 अंकित किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से पूर्व विचारित प्रथम अपील, उसके आधार, तथ्यों, परिस्थितियों, रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रथम व द्वितीय अपील के आधार मूल द्वितीय अपील जो अधीनस्थ न्यायालय माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष एंव प्रथम अपील न्यायालय माननीय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के समक्ष विचारित व निर्णित प्रथम अपील में विस्तृत रूप से अभिवचन किया जा चुका है, पुनरावृति से बचने के लिए उन तथ्यों को इस आवेदन में विवेचित नहीं किया जा रहा है, प्रथम व द्वितीय अपील में दर्ज तथ्यों को ही रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध इस आवेदन के समेकित, समाहित माना जाने की प्रार्थना है।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत प्रथम अपील माननीय अधीनस्थ न्यायालय को समयबद्ध रूप से निस्तारित करनी आवश्यक थी व रही, मगर इसे आज्ञापक व्यवस्था को नजरअंदाज कर पत्रावली जानबूझकर राजकीय सेवाओं से वंचित रखने, राजकीय सेवको के बचाव के दुराशय से विलम्बित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर डीडवाना के अधीनस्थ कार्मिक है, जिनके द्वारा कार्य किए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिलना–जुलना होना सामान्य बात है किन्तु मेल–जोल के इस क्रम अपीलार्थी के इस प्रकरण को प्रभावित कर रहा है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व अधीनस्थ कार्यालय रीडर, क्लर्क सहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

सम्पूर्ण स्टॉफ रेस्पोडेन्टस के प्रति अत्यन्त नरमी का एंव लचीला रूख अपनाकर प्रकरण को किसी तरह रफे—दफे करने पर तुले हुए है, जैसा किया जाना न्याय की मंशा के विरूद्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व उनके अधीनस्थ कार्यरत रीडर साहब व क्लर्क दिसम्बर 2018 से द्वितीय अपील को अपने कार्यालय में संधारित किये हुए है तथा अधिकतर समय रेस्पोडेन्ट्स की तलबी व रेकर्ड तलबी में व्यतीत किया गया है, आदेशिकाओं के अवलोकन से इस बात की पुष्टि की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के कार्मिकों व माननीय पीठासीन अधिकारी का रवैया स्पष्ट है कि वे परिवादी/अपीलार्थी की द्वितीय अपील में न्याय नहीं कर पायेगें, क्योंकि वे अपीलार्थी से प्री—ज्यूडिश है तथा रेस्पोडेन्ट्स से व्यक्तिगत, प्रशासनिक व कार्यालयी कामकाज के सामान्य प्रक्रम में अत्यन्त स्नेह रखते है, जिसके चलते वे इस पत्रावली में न्याय नही कर पा रहे है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में विधायिका की यह मंशा रही कि आमजन को लोक सेवकों द्वारा समुचित, समयबद्ध व नियत तरीके से सेवाएं प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय माननीय द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा विधायका की इस मंशा के विपरीत एक लम्बे अरसे से केवल प्रकरण को लम्बित रखा गया है, कोई न्याय संगत आदेश तक पारित नहीं किया है, सम्पूर्ण रेकर्ड, साक्ष्य प्रथम अपील से ही पत्रावली में मौजूद है, व्यथित पक्षकारों को सुना जा चुका है, लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से गुरेज कर रहे है, जो कि महज रेस्पोडेन्ट्स के रसूख, प्रभाव व आपसी स्नेहपूर्ण संबंधो के चलते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित द्वितीय अपील में न्याय की कोई उम्मीद शेष नहीं रही है। प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में उसे न्याय से वंचित कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के समक्ष यह आवेदन पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार नहीं रहा है, जिससे यह आवेदन पेश किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से व्यक्तिशः प्रार्थीगण ने कई दफे उपस्थित होकर अपील के समुचित प्रक्रिया सहित निपटाने का निवेदन किया, लेकिन उनके द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यक्ष एंव परोक्ष रूप से हर दफे यही कहा गया कि राजकीय सेवकों के विरूद्ध मामला है, पूरी जांच होगी, फिर देखेगें, कैसे खारिज करना है। उपर्युक्त व्यवहार यह इंगित करता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तक इस प्रकरण को खारिज करने में व्यक्तिगत रूप से रूचि ले रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रत्येक कर्मचारी, स्वंय पीठासीन अधिकारी का व्यवहार द्वितीय अपील के प्रस्तुत किये जाने के उपरांत से आज दिन तक लगातार जितनी दफे प्रार्थीगण उपस्थित अधीनस्थ अदालत हुआ, अत्यन्त बेरूखीपूर्ण रहा है, सम्पूर्ण कर्मचारी प्रवर्ग एंव माननीय विद्वान पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण को गलत दिशा देने पर तुले हुए है, वे प्रार्थीगण को मानसिक रूप से भी इस हेतु प्रेरित कर रहे है कि किसी तरह प्रार्थीगण इस प्रकरण को परवाह छोड दे, न्याय की उम्मीद छोड दे। उपरोक्त व्यवहार से भी यह इंगित हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तक इस प्रकरण को खारिज करने में व्यक्तिगत रूप से रूचि ले रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को मात्र ढकोसला साबित करने के लिए व अपने उतरदायित्व से विमुख होकर प्रार्थीगण को कोई राहत अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व सम्पूर्ण स्टॉफ प्रदान नहीं कर रहे है। जबकि इस संबंध में अधिनियम में आज्ञापक प्रावधान है।

अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने विधि को दरकिनार कर तथा संवेदनहीन होते हुए प्रार्थीगण की द्वितीय अपील को विलम्बित करने व प्रार्थीगण को मानसिक रूप से तंग, परेशान, हैरान किया है व लगातार कर रहे है तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यह तक कह दिया है कि वे इस प्रकरण को खारिज करने में हिचकिचाएंगे नहीं। जिससे प्रथम दृ[illegible]ीन अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय व सम्पूर्ण स्टॉफ का पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्र[illegible]त से व मिस गाईड करने की नियत से, हताश, निराश करने की नियत से प्रकरण को [illegible] लम्बी अवधि तक विस्तारित किया है। जिन तथ्यों पर विस्तृत मनन [illegible] स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण का विलम्ब एंव अन्य कार्यवाही के संबंध में कोई भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

तथ्य बताने व फेक्चूयल कन्डीशन से अवगत कराना बंद कर दिया है तथा प्रार्थीगण को अपील में पूर्ण रूप से अन्याय देने पर तुल गये है तथा प्रार्थीगण के पक्ष निरर्थक होने जैसी पक्षपातपूर्ण दलीले दे रहे है। जो माननीय अधीनस्थ न्यायालय व उनके कर्मचारियों व अप्रार्थीगण की मिलीभगती, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, उदासीनता व घौर लापरवाही को इंगित करता है, जिन तथ्यों एंव परिस्थितियों पर विस्तृत मनन कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना विधि सम्मत है। विधि की यह मंशा रही है कि न केवल व्यथित पक्षकार के साथ न्याय हो, बल्कि न्याय होते हुए आम जन को दिखना भी चाहिए। जिन तथ्यों पर विस्तृत मनन किये बिना ही गलत, अनुचित व अवैध कार्यवाही, दुराचरण व अपकृत्य अधीनस्थ न्यायालय के तकरीबन सभी कर्मचारी व स्वंय पीठासीन अधिकारी कर रहे है।

प्रार्थीगण को भंयकर मुगालते में रखा जा रहा है, ताकि प्रकरण में विलम्ब कारित कर देने के उपरांत कोई निर्णय पारित किया जाये, तो उसे रेक्टीफाई किया जा सके कि समुचित सुनवाई की गई, पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई, जबकि प्रार्थीगण को तो सुना तक नहीं जा रहा है। उपर्युक्त अतिश्योक्ति के लिए भी प्रकरण मुन्तकिल किये जाने काबिल है। चाही गई लोक सेवाएं प्रदान करने का रेस्पोडेन्ट्स का दायित्व था व है तथा वे अपने कर्तव्य से बंधे है, लोक सेवाएं अत्यावश्यक प्रकृति की थी व है, जिनको प्राथमिकता व गम्भीरता से न लेकर, जानबूझकर विलम्ब करने की नियत से तथा विधि विरूद्ध प्रार्थीगण को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से, प्रार्थीगण के विरोधियों के इशारे पर बडी रकम ऐंठ कर तथा उनके अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर रेस्पोडेन्ट्स/ अप्रार्थीगण ने सेवाएं प्रदान नहीं की व अधिनियम की अर्न्तदशाएं भंग कर दी। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने समुचित रूप से प्रथम अपील पेश की व पश्चात् यह द्वितीय अपील विचाराधीन है, अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व लोक सेवको द्वारा किया जा रहा इस तरह का गलत, अनुचित व अवैध आचरण अपीलार्थी के सिविल, विधिक व संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है तथा इस अधिनियम की अर्न्तदशाएं भंग करता है, जिस पर गौर फरमाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। जैसा उक्त प्रकरण में किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है, इसमे आम जन में गलत संदेश व्याप्त हो रहा है, सैकडो–हजारो की संख्या में लोग अनपढ व ग्रामीण क्षेत्र के है, जिन्हे विधि का समुचित ज्ञान भी नहीं है, उनके द्वारा इस अधिनियम के तहत् कार्यवाही तक नहीं की जा सकती, जब अपीलार्थी/प्रार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अपील पेश की व आवाज उठायी तो इससे उनके दैनिक आचरण पर आघात पहूंचा व इसी कारण से उनके द्वारा लगातार प्रकरण में विलम्ब कर प्रार्थीगण को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि संबंधित विभाग, अधिनियम, राज्य के प्रति गलत भ्रांति उत्पन्न हो, इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर फरमाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण/ अपीलार्थी द्वारा विस्तृत व प्रोपर जानकारियां, तथ्य, दस्तावेज, साक्ष्य के संबंध में अभिवचन प्रथम अपील व द्वितीय अपील में लिये गये, जिनको लगातार नजर अंदाज किया गया। रेस्पोडेन्ट्स व स्वंय पीठासीन अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय व उनके अधीनस्थ कार्मिकों ने इस अधिनियम की अर्न्तदशा भंग करते हुए व मिस कन्डक्ट ऑफ करते हुए आचरण किया है, जिससे प्रार्थीगण/ अपीलार्थी को न्याय की लेसमात्र भी उम्मीद अधीनस्थ न्यायालय से नहीं रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कूटनीतिक ढंग से द्वितीय अपील अपास्त करने के आशय से कटाक्ष करते हुए आवेदन/ प्रार्थीगण को कोई राहत नहीं दी, अपील को लम्बा किया, समय विस्तारित करते रहे, सुनने से गुरेज किया तथा उक्त कृत्य लगातार जारी है। यहां यह कथन प्रासंगिक होगा कि उक्त प्रकरण के विस्तृत अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या रेस्पोडेन्ट्स लोक सेवकों का इस प्रकार के आचरण से उनका परम उद्देश्य प्रार्थीगण/ अपीलार्थी से अवैध व विधि विरूद्ध उगाही करना प्रमाणित होता है तथा परोक्ष रूप से विभाग की छवि व प्रतिष्ठा को धूमिल करना भी हे, जिसके लिए वह दण्ड के दायी थे व है। इसके विपरीत अपीलार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा स्वच्छ हाथो से प्रथम व अब यह द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई थी। परन्तु अपीलार्थी/ प्रार्थीगण को समय प[illegible] न्याय से वंचित करने की उद्घोषणा तक अधीनस्थ न्यायालय के कार्मिकों व पीठासीन अ[illegible] कर दी है, ताकि झुठे व कपोल कल्पित अवलम्बन लिये जा सके। उक्त प्र[illegible] से यह प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय व रेस्पोडेन्ट्स का उक्त कृत्य [illegible] भूलवश या सहवन से हुई त्रुटि मात्र न होकर चालाकी व धूर्तता पूर्ण तरीके से षड्यंत्रपूर्वक, सोची–समझी साजिश के तहत् किया गया अपकृत्य है। जिससे भी प्रार्थीगण को न्याय की लेसमात्र उम्मीद अ[illegible]स्थ न्यायालय से नहीं रहीं है। राजस्थान लोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में विहित विभिन्न अध्यायों में अधिनियम के अध्यारोही, आज्ञापक व समयबद्ध प्रभाव की स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिन तथ्यों को दरकिनार कर केवल मात्र यही उद्देश्य कि अपीलार्थी को न्याय से वंचित करना व रेस्पोडेन्ट्स / अप्रार्थीगण का सरंक्षण अनावश्यक विलम्ब कारित करने के आशय से कार्यवाही तक नहीं की गई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की स्पष्ट अवहेलना है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी / प्रार्थीगण के प्रकरण के विचारित होने व उनके पीठासीन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही लगातार अनर्गल टिप्पणीयों से प्रार्थीगण / अपीलार्थी को भारी अपूर्णिय मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति हुई है, जो लगातार जारी है। इस कारण भी यह प्रकरण अन्यत्र न्यायालय को अंतरित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

वर्तमान प्रकरण की सम्पूर्ण स्टेप ऑफ प्रोसेस नाटकीय व हास्यापद प्रतीत होती है। रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न कर अपनी मंशा स्पष्ट की गई तथा साथ ही इस प्रकरण में निर्णय लेने की प्रक्रिया मय पर्यवेक्षण एंव जवाबदेही निर्धारण हेतु अपनाई गई विधि भी संदेहास्पद है। जिसका युक्तियुक्त निर्वहन नहीं किया गया है। विलम्ब मात्र अपवादस्वरूप ही सम्भव है, सम्पूर्ण कार्यवाही गलत, अनुचित व अवैध है। प्रार्थीगण को युक्तियुक्त संदेह है कि अपर जिला कलक्टर कार्यालय डीडवाना के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रभाव में होने के कारण येन केन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित करने पर आमादा है। इस प्रकार अदालत मातहत एडीएम डीडवाना कानून अनुसार कार्यवाही नहीं कर कानूनी प्रावधानों से परे जाकर अपनी मनमर्जी माफिक आदेश करने पर तुला हुआ है, ऐसी दशा में प्रार्थीगण को न्याय मिलने की कोई सम्भावना नहीं है, ऐसी दशा में प्रकरण अन्य अदालत में ट्रांसफर किया जाना न्यायोचित है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2011 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के इस प्रकरण को अन्य सक्षम अधिकारिता के अंतरित करने की शक्तियां प्राप्त है, जिन शक्तियों के प्रयोग में इस प्रकरण को अंतरित किये जाने की प्रार्थना है। उक्त प्रकरण को अन्य अपर कलक्टर कार्यालय अथवा श्रीमान् स्वंय श्रवण करने हेतु मुन्तकिल किये जाने का आदेश प्रदान कराने का कथन करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष विचाराधीन द्वितीय अपील (राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत) प्रकरण संख्या 79 / 2018 बअनवान अपीलार्थी रमेशचंद्र ओझा व अन्य बनाम रेस्पोडेन्ट्स प्रथम अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) लाडनूं व अन्य की पत्रावली तलब की जाकर किसी अन्य सक्षम अधिकारिता के न्यायालय अथवा माननीय न्यायालय स्वंय विचारण करने हेतु स्थानान्तरित करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि वकील प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय डीडवाना के समक्ष राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विचाराधीन द्वितीय अपील रमेशचंद्र ओझा व अन्य बनाम प्रथम अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) लाडनूं व अन्य को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में निवेदन है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विचाराधीन प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 कोई प्रावधान नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा भी अपने आवेदन में उक्त अधिनियम 2011 के तहत विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित करने का प्रावधान स्पष्ट नहीं किया है, इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना में प्रार्थी की अपील संख्या–79 / 2018 रमेश चन्द ओझा बनाम प्रथम अपील अधिकारी (एस.डी.ओ.) वगैरह विचाराधीन है। उक्त अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में दिनांक [illegible] को प्राप्त होने पर अपील दर्ज कर पक्षकार प्रथम अपील अधिकारी एस.डी.एम. लाडनूं [illegible] जबाब 26.12.2018 को प्राप्त हुआ। दिनांक 01.07.2019 से 22.03.2020 तक नियमित अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना का पद रिक्त रहा। मार्च 2020 से कोरोना काल में न्यायालय [illegible] नहीं हुआ तथा 08.08.2020 से 06.01.2021 तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

पुनः अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना पद रिक्त रहा। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना का उपर्युक्तानुसार पद रिक्त रहने पर कुछ अवधि तक अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के पास अतिरिक्त चार्ज रहा है और अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के पास स्वंय के न्यायालय एवं जिला प्रशासन का जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक कार्य भी रहा है और उक्त कारणों से प्रार्थी के प्रकरण में सुनवाई नहीं हो पाना संभव है। इस प्रकार अधिकांश अवधि तक अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त रहने एवं कोरोना काल के कारण अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थी की अपील में अग्रिम कार्यवाही की जाना संभव नहीं हो सका है, जो कारण पर्याप्त है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 30 बिन्दुओं को विस्तार से लिखा है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से पीठासीन अधिकारी सहित अधिनस्थ रीडर व क्लर्क पर अविश्वास जताते हुए अत्यन्त ही बढ़ा–चढ़ा कर आरोप लगाकर कथन मात्र किये है। उक्त आरोप एवं कथन पूर्णतया साक्ष्य से परे, मिथ्या मनगढ़त एवं निराधार है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी पक्षकार समान है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन दिनांक 06.01.2021 के पश्चात हुआ है और प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर झूठे एवं मिथ्या आरोप लगाकर दिनांक 03.02.2021 को न्यायालय हाजा में यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया अर्थात वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद करीब 30 दिन के भीतर ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। उक्त 30 दिवस में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा किस दिनांक को, किस समय, किस व्यक्ति के सामने किस प्रार्थी को ऐसा क्या कहा अथवा प्रकट किया जिससे की अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही, ऐसा कोई कथन अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, रीडर, क्लर्क आदि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगा देने के कथन मात्र के आधार पर किसी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय को स्थानान्तरित करना कतई उचित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पूर्णरूप से तथ्यहीन, मिथ्या एवं मनगढ़त एवं अप्रार्थीगण पर नाजायज दबाव बनाने एंव परेशान की नियत से प्रस्तुत किया तथा न्यायालय हाजा का समय बर्बाद किये जाने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पर भारी कोस्ट लगाकर खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल आवेदन पत्र के संलग्न अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना की प्रस्तुत आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति में प्रकरण का उनवान रमेश चन्द्र ओझा बनाम प्रथम अपील अधिकारी (SDO) तथा किस्म मुकदमा–अपील संख्या 79/2018 अंकित है, जबकि प्रार्थी द्वारा हस्तगत मुन्तकिल आवेदन पत्र में अपील संख्या–79/2019 अंकित किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। उक्त विरोधाभाष के संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आदेशिका के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा अपील संख्या–79/2018 के स्थान पर मुन्तकिल आवेदन पत्र में सहवन से अपील संख्या–79/2019 टंकित होना प्रतीत होता है।

वकील प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के यहां राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विचाराधीन द्वितीय अपील रमेशचंद्र ओझा व अन्य बनाम प्रथम अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ), लाडनूं व अन्य को स्थानांतरित अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि वकील प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम 2011 के तहत विचाराधीन प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने आदि के संबंध में अधिनियम 2011 में क्या प्रावधान है, स्पष्ट नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना में प्रार्थी की अपील संख्या–79/2018 रमेश चन्द ओझा बनाम प्रथम अपील अधिकारी (एस.डी.ओ) वगैरह विचाराधीन है। उक्त अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में दिनांक 13.12.2018 को प्राप्त होने पर अपील दर्ज कर पक्षकार प्रथम अपील अधिकारी एस.डी.एम. लाडनूँ को जबाब हेतु लिखा गया, जो जबाब 26.12.2018 को प्राप्त हुआ। दिनांक 01.07.2019 से 22.03.2020 तक नियमित अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना का पद रिक्त रहा। मार्च 2020 से कोरोना काल में न्यायालय में कार्य नहीं हुआ तथा 08.08.2020 से 06.01.2021 तक पुनः अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना पद रिक्त रहा। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना का उपर्युक्तानुसार पद रिक्त रहने पर कुछ अवधि तक अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के पास अतिरिक्त चार्ज रहा है और अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के पास स्वंय के न्यायालय एवं जिला प्रशासन का जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक कार्य भी रहा है और उक्त कारणों से प्रार्थी के प्रकरण में सुनवाई नहीं हो पाना संभव है। इस प्रकार अधिकांश अवधि तक अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त रहने एवं कोरोना काल के कारण अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थी की अपील में अग्रिम कार्यवाही की जाना संभव नहीं हो सका है, जो कारण उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 30 बिन्दुओं को विस्तार से लिखा है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से पीठासीन अधिकारी सहित अधिनस्थ रीडर व क्लर्क आदि पर अविश्वास जताते हुए हस्तगत आवेदन पत्र किया है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन दिनांक 06.01.2021 के पश्चात हुआ है और प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाकर दिनांक 03.02.2021 को न्यायालय हाजा में यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया अर्थात वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद करीब 30 दिन के भीतर ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, इस कारण प्रार्थीगण की मंशा सन्देहास्पद प्रतीत होती है। उक्त 30 दिवस में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा किस दिनांक को, किस समय, किस व्यक्ति के सामने किस प्रार्थी को क्या कहा अथवा प्रकट किया जिससे की अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही, इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई कथन अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, रीडर, क्लर्क आदि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगा देने के कथन मात्र के आधार पर किसी बिना किसी ठोस कारण के प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय को स्थानान्तरित करना कतई उचित नहीं है। इससे न्याय व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस सम्बध मे 2006–2007 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर. टी. 435 में यह भी निर्धारित किया गया है कि :– "फोरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्याय प्रकिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of Law नही हो।" इस प्रकार बिना किसी ठोस कारण के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर आधारित नही होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर